न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–04 जयपुर जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :: सुश्री नीतू भारद्वाज, आर.जे.एस

फौजदारी नियमित अपील संख्या 12/24 (93/24)
एन.सी.वी –95/24
CNRRJJD010025662024

दौलतराम पुत्र छीतरमल, आयु 35 वर्ष, निवासी नाथुकला की ढाणी, खोरा मीणा, पुलिस थाना आमेर, जिला जयपुर।

अपीलार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक

—प्रत्यर्थी

दाण्डिक अपील विरूद्ध दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 29/11/2026 द्वारा गरिमा बंसल, आर. जे.एस, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा जो फौजदारी प्रकरण संख्या–125/15 (487/18) सरकार बनाम दौलतराम में पारित किया गया।

उपस्थितः
1. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से–विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर डी. अवस्थी
2. राज्य की ओर से– विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री संजीव कुमार शर्मा

:: निर्णय :: **दिनांक 29 जून, 2026**

1. अपीलार्थी/अभियुक्त दौलतराम द्वारा यह दाण्डिक अपील विद्वान विचारण न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा उनके यहां लंबित मूल दाण्डिक प्रकरण संख्या–487/18 राज्य बनाम दौलतराम में उसके विरूद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 29–11–2026 के विरूद्ध माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जयपुर जिला, जयपुर के समक्ष दिनांक 19–12–2024 को प्रस्तुत की गई, जो कि उक्त न्यायालय से विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय को दिनांक 21–12–2024 को प्राप्त हुई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि कैलाश नारायण शर्मा, वरिष्ठ खनिज निदेशक, कार्यालय खनिज अभियन्ता खनिज भवन, जयपुर द्वारा दिनांक 21–06–2014 को आरक्षी केन्द्र, आमेर में एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि– दिनांक 21–04–2014 को खनिज विभाग के चैकिंग दल ने एक ट्रेक्टर ट्रोली संख्या आर.जे.14–2499 जो कि ड्राईवर ने बताये थे,

वाहन पर लिखे हुए नहीं थे। ट्रेक्टर के चैचिस नंबर 415436 एवं इंजन नंबर 5324–सी–17032 मैसी फरजुगन डीआई 1035 है, को चैक किया गया तो वाहन में खनिज चेजा पत्थर अवैध खनन करके भरकर लाया गया । पंचनामा संलग्न है। वाहन चालक ने स्वयं को ट्रेक्टर मालिक बताया । अतः वाहन चालक के विरूद्ध MMCR 1986 के नियम 48 एवं 68 एवं भा0दं0सं0 की धारा 379 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाए.....इत्यादी।

3. उक्त आशय की रिपोर्ट पर पुलिस थाना आमेर द्वारा अभियोग संख्या–292/14 धारा–379 भा0दं0सं0 व खनिज अधिनियम की धारा 4 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया व बाद अनुसंधान अभियुक्त दौलतराम के विरूद्ध धारा 379 भा0दं0सं0 एवं धारा 48,68 राजस्थान माइनर मिनरल कनसेशन रूल्स, 1986 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4. विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 379 भा0दं0सं0 एवं धारा 48,68 राजस्थान माइनर मिनरल कनसेशन रूल्स, 1986 के अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इन्कार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

5. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.1 राजेन्द्र कुमावत, पी.ड.2 सत्यनारायण, पी.ड.3 कैलाश नारायण, पी.ड.4 छीतरमल, पी.ड.5 लादूराम मीणा, पी.ड.6 संजय कुमार शर्मा, पी.ड.7 रामशरण के बयान लेखबद्ध कराए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 मौका पंचनामा, प्रदर्श पी–2 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी–3 चाक एफ.आई. आर., प्रदर्श पी–4 नक्शा मौका, प्रदर्श पी–5 फर्द जब्ती, प्रदर्श पी–6 फर्द गिरफ्तारी, प्रदर्श पी–7 फर्द जब्ती, प्रदर्श पी–8 133 एम.वी.एक्ट को प्रदर्शित कराए गए।

6. विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रकिया संहिता लेखबद्ध किए जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया ।

7. विद्धान विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विचारण के पश्चात् अपने आलौच्य निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 29–11–2026 द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त दौलतराम मीणा को धारा–379 भा0दं0सं0 के अपराध में

दोषसिद्ध किया जाकर तीन वर्ष के साधारण कारवास व 5000/—रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 48 सपठित धारा 68 राजस्थान माइनर मिनरल कनसेशन रूल्स, 1986 के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर एक वर्ष के साधारण कारावास व 5000/— रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अदम अदायगी अर्थदण्ड क्रमशः तीन माह, तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारवास भुगतने की सजा से दण्डित किया गया। उक्त दोषसिद्धी एवं दण्डादेश से व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

8. न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

9. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री रामेश्वर डी. अवस्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया है कि इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष आरोपित अपराध को अभियुक्त के विरूद्ध सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि प्रकरण में खनन विभाग द्वारा एफ.आई.आर दर्ज कराई गई है, जिसमें ट्रेक्टर ट्रोली के पास ड्राईवर का खडा होना बताया गया है व उसने कार्यवाही के दौरान अपना नाम बताया होगा , लेकिन एफ.आई.आर में ना तो ट्रेक्टर का नम्बर है ना ही चालक का नाम अंकित है तथा पंचनामें में भी ट्रेक्टर चालक का नाम नहीं बताया गया है । पत्रावली में प्रदर्शित कराई गई फर्द प्रदर्श पी—5 जब्ती रिपोर्ट के अनुसार 10 गुना रशि जमा कराने पर संबंधित प्राधिकारी को वाहन को छोडने का अधिकार प्राप्त है। किन्तु उक्त फर्द में जमा कराई जाने वाली राशि का अंकन ही नहीं है और यदि उक्त राशि बताई जाती तो अपीलार्थी द्वारा वह राशि जमा करा दी जाती, लेकिन प्रदर्श पी—5 में खाली स्थान छोड दिया गया है। तहरीरी रिपोर्ट में भी ट्रेक्टर के नंबर व चालक का नाम अंकित नहीं किया गया है । प्रकरण में परीक्षित गवाहान ने चेजा पत्थर नहीं होना कथन किया है। असल में अपीलार्थी के डूंगरी से लगते हुए खेत है वही अपीलार्थी खडा था जिसे गलत तौर पर इस प्रकरण में संलिप्त कर लिया गया है । मौके पर तोलने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है और बिना तोले ही जब्तशुदा चेजा पत्थर को होना लिख दिया गया है। प्रकरण में कोई स्वतन्त्र गवाह परीक्षित नहीं कराया गया है । मौके पर ड्राईवर से पूछा गया

तो उसने ट्रेक्टर अपना होना बताया है। दौराने अनुसंधान वाहन के दस्तावेज जब्त किए गए थे । परन्तु इसके बावजूद भी वाहन का नंबर नहीं लिखा गया है तथा 133 एम.वी.एक्ट के नोटिस की कार्यवाही में यह पूछा जाता है कि मौके पर वाहन को कौन चला रहा था जबकि प्रकरण की गई अनुसंधान कार्यवाही में दिए गए नोटिस 133 एमवीएक्ट में स्वयं अभियुक्त का ही चालक होना अंकित किया गया है जबकि इस नोटिस के जरिये तो जानकारी की जाती है कि वाहन कौन चला रहा था । खनन करते हुए कोई भी व्यक्ति नहीं पाया गया है तथा खोदने का कोई सामान नहीं मिला है ।

10. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से दौराने बहस यह भी तर्क रहा है कि एक अकेले व्यक्ति द्वारा खनन करके बिना किसी सहायता के पत्थरों को ट्रेक्टर में डालकर परिवहन किया जाए यह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में संभव नहीं है। स्वयं गिरफ्तारी के गवाह अभियुक्त का खेत में खडे होकर खाद डालना बताते हैं और वहीं से गिरफ्तार करना बताते हैं। ऐसे में मौके की कार्यवाही अपने आप में ही संदिग्ध हो जाती है। अभियोजन के परीक्षित गवाहान यह स्वीकारते हैं कि खनन नहीं हो तो अपराध नहीं बनना पाया जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा था। सारे गवाहों ने अभियुक्त का ट्रेक्टर के पास खडा होना बताया था तथा किसी ने भी खनन करते हुए नहीं देखा है तथा अभियुक्त द्वारा चोरी की गई हो यह भी सन्देह से परे प्रमाणित नहीं है। वाहन मालिक ही चोर हो, यह जरूरी नहीं है। गवाहान के कथनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण विरोधाभास विद्यमान है। अभियुक्त की आरोपित अपराध में दोषसिद्धी के लिए अभियोजन पक्ष ने कोई ठोस एवं विश्सनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है इसलिए भी यह प्रकरण अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध साबित नहीं होता है और अंत में उन्होंने विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय को विधि विरूद्ध व गलत बतलाते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

11. जबकि विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को सही ठहराये जाने का निवेदन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने मौखिक एवं

दस्तावेजी साक्ष्य का सही आंकलन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया है।

12. उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया, हस्तगत पत्रावली तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त परिशीलन किया गया।

13. विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से अवधारण योग्य बिन्दू निम्नलिखित थे कि :—

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 21—04—2014 को किसी समय आमेर स्थित ग्राम खोरा मीणा पहाड़ी के पश्चिम की तरफ राजकीय सम्पत्ति खनिज चेजा पत्थर को बिना अनुमति के अवैध खनन कर चोरी कर वाहन ट्रैक्टर—ट्रोली जिस पर रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित नहीं थे, ट्रैक्टर—ट्रोली चालक केताये अनुसार ट्रेक्टर—ट्रोली संख्या आर0.जे14.2499 में परिवहन किया तथा अभियुक्त उपरोक्त दिवस, समय व स्थान पर राजकीय सम्पत्ति खनिज को बिना अनुमति के खनन कार्य कर पत्थर चोरी कर ले गया?

(2) यदि हॉ, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड़ क्या होगा ?

14. दौराने बहस उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्को—वितर्को के परिप्रेक्ष्य में मीमो आफ अपील में उठाए गए आधारों के दृष्टिगत् विद्वान विचारण न्यायालय के अलौच्य निर्णय तथा सम्पूर्ण विचारण न्यायालय की पत्रावली का न्यायिक दृष्टि से अवलोकन किया गया ।

15. इस संबंध में सम्पूर्ण विचारण न्यायालय की की पत्रावली का अवलोकन करने से परीलक्षित होता है कि पुलिस थाना आमेर के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध विचारण न्यायालय में धारा 379 भा0दं0सं0 एवं धारा 48,68 राजस्थान माइनर मिनरल कनसेशन रूल्स, 1986 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया एवं विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आलौच्य निर्णय द्वारा अपीलार्थी को धारा 379 भा0दं0सं0 एवं धारा 48,68 राजस्थान माइनर मिनरल कनसेशन रूल्स, 1986 के तहत दोषसिद्ध करार देकर दण्डादेश पारित किया उक्त दोषसिद्धी एवं दण्डादेश से व्यथित होकर अपीलार्थी/ अभियुक्त ने हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।

16. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मूल रूप से अभियुक्त के विरूद्ध लेखबद्ध की गई साक्ष्य को अखण्डनीय होना मानते हुए तथा गवाहान के बयानों में कोई सारभूत विरोधाभास प्रकट नहीं होने के आधार पर आरोपित अपराध को संदेह से परे माना है। साथ ही विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से दिए गए स्वतन्त्र साक्षीगण को परीक्षित नहीं कराये जाने का तर्क, खनिज विभाग के अधिकारियों से वैमनस्यता के तर्कों को दरकिनार करते हुए यह उल्लेखित किया है कि अभियुक्त की ओर से भी ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि ट्रेक्टर में भरा पत्थर खनिज पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता हों। साथ ही धारा–133 मोटर वाहन अधिनियम के नोटिस के संबंध में उठाई गई आपत्ती को भी विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में नहीं माना है।

17. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय में किए गए समस्त निर्वचन के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण में मूल रूप से समस्त कार्यवाही दिनांक 21–06–2014 को सुबह 7.15 ए.एम. पर की गई थी, इस तथ्य के संबंध में अपीलार्थी / अभियुक्त की ओर से कोई इन्कारी नहीं रही है। अपीलार्थी / अभियुक्त की ओर से मूल रूप से प्रदर्श पी–5 के संबंध में दौराने बहस अपील न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि उक्त जब्ती रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 में खनिज की कीमत की 10 गुणा राशि एवं कम्पाउण्ड राशि, कुल राशि का कोई अंकन नहीं है। यदि वह राशि हमें बताई जाती तो हम जमा करा देते। उक्त फर्द प्रदर्श पी–5 के गवाह मूल प्रकरण में पी.डब्ल्यू–1 राजेन्द्र कुमावत, पी.डब्ल्यू–2 सत्यनारायण व पी.डब्ल्यू–3 कैलाश नारायण साक्ष्य में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने मौके पर की गई कार्यवाही को ही अपनी मुख्य परीक्षा में बतालाया है।

18. मौके पर समस्त कार्यवाही पी.डब्ल्यू–3 कैलाश नारायण द्वारा की गई थी जिन्होंने अपनी मुख्य मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 21.06.2014 को वह खनिज विभाग में वरिष्ठ खनिज कार्यदेशक के पद पर था। उस दिन वह व सहायक खनिज अभियन्ता सत्यनारायण कुमावत, सर्तकता दल के पुलिस उपाधीक्षक, समस्त फील्ड स्टाफ के साथ ग्राम खोरा मीणा तह० आमेर जिला जयपुर स्थित पहाडी पश्चिम की ओर चैकिंग के लिए

गये थे। वहां पर एक ट्रेक्टर ट्रोली जिसमें चिनाई पत्थर करीब 6 टन भरे हुऐ ड्राईवर दौलत राम मीणा मिला। ट्रोली पर नम्बर लिखे हुए नहीं थे। उन्होंने नम्बर आर.जे.14 सीआर 2499 बताए। उसने बताया कि पत्थर ट्रोली में स्वयं खनन करके ले जा रहा हूं, उसके पास कोई अनुमति नहीं है। इस स्थान पर कोई चिनाई पत्थर खान स्वीकृत नहीं है। अवैध रूप से भरे खनिज भरे ट्रेक्टर मय ट्रोली को जब्त किया गया और चालक सहित ट्रोली को थाने पर ले गये थे। वहा मौका फर्द, पंचनामा, और जब्ती ट्रेक्टर वास्ते अपराध धारा 48 व 68 एमएमसीआर 1986, 379 आईपीसी में अपराध पाये जाने पर मेरे द्वारा थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी जो प्रदर्श पी 2 है जिस पर सी से डी उसके साईन है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी उसके साईन है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 5 है। जिस पर ए से बी उसके, सी से डी चालक दौलतराम के साईन है। पुलिस द्वारा मौके पर नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 बनाया था जिस पर सी से डी उसके साईन है। मौका पंचनामा प्रदर्श पी 1 है जिस पर ई से एफ उसके साईन है।

19. **जिरह में** गवाह ने कथन किया है कि चैकिंग के लिए उसे सरकार की ओर से लिखित आदेश नहीं मिला था। लेकिन वह दल के साथ जाने के लिए अधिकृत है। वह खुद भू वैज्ञानिक है। उस दिन सुबह 7 से 7.15 बजे गये थे। ट्रेक्टर ट्रोली नीले रंग थी। ट्रेक्टर मेसी फर्ग्यूसन कम्पनी का था हमारे दल में 5 लोग थे और एक पुलिस जाब्ता भी था जो आमेर थाने का था। ट्रोली भरी हई खड़ी थी। जो पत्थर भरे हएे थे ट्रोली की लम्बाई चौडाई के हिसाब से अनुमान से 6 टन था। चेजा पत्थर और चिनाई पत्थर सेम होता है। सड़क पर जो पत्थर मिलते है उनको टेस्ट करके ही बताया जा सकता है कि वह कौनसा पत्थर है। ट्रोली पर जो आदमी मिला था उसकी हमने आईडी नहीं देखी थी वह यह बोला था कि मैं मालिक है। ट्रोली पर नम्बर नहीं थे उसी आदमी ने बताऐ थे। ट्रेक्टर, ट्रोली मय पत्थर के जब्त किया था। ऐसा कोई भी उपकरण नहीं था जिससे पहाड को तोडा जा सकता हो। वहां पर उस दिन दौलतराम के अलावा कोई नहीं था। जो पत्थर हमने जब्त किये थे उनकी कीमत उस समय बाजार में लगभग 1000 या 1200 रूपये होगी। इन पत्थरो की खनन के लिए लीज सरकार द्वारा दी जाती है उसके

बाद खनन किया जा सकता है वह कोई अपराध नहीं है। यह सही है कि कार्यवाही के दौराने जो जब्ती बनायी थी उसमें दल के सदस्यों के हस्ताक्षर है। स्वतंत्र व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त पत्थर पहाड से तोडकर निकाले जाते है। मौके पर जो भी पत्थर के साथ या कार्य करता हुआ मिलता है उसके खिलाफ कार्यवाही करते है। यह सही है कि मैंने उसे पत्थर तोडते हुऐ नहीं देखा ट्रोली के साथ देखा था।

20. इस प्रकार इन्हीं तथ्यों का अंकन करते हुए पी.डब्ल्यू–1 राजेन्द्र कुमावत व पी.डब्ल्यू–2 सत्यनारायण कुमावत ने मौके पर 6 टन पत्थर अभियुक्त के कब्जे से जब्त करना बताया है। इस संबंध में दौराने चैकिंग जो फर्द प्रदर्श पी–5 तैयार की गई है इसके संदर्भ में सर्वप्रथम नियम 48 और 68 एम.एम.सी.आर का उल्लेख किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जो इस प्रकार है :–

48.Unauthorised working:-

(1) No person shall undertake any mining operations except in accordance with the terms [and conditions of the prospecting licence, mining lease], quarry licence, short term permit or any other permission granted under these rules.

[(2) The lessee or any other person shall not remove or despatch mineral from the mines (except from the quarry licence area) without rawanna. Rawanna shall be in Form No. 12 appended to these rules and duly stamped by the concerned office.

2[(2A) No person shall transport or store or cause to be transported or stored any mineral otherwise than in accordance with the provisions of these rules.

[(3) Who ever contravenes the provisions of [sub-rule (1), (2) or (2A)] shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to twenty-five thousand rupees, or with both.

Provided that the Additional Director (Mines) / Superintending Mining Engineer / Superintending Mining Engineer (Vigilance) / Mining Engineer / Mining Engineer (vigilance) / Assistant Mining

Engineer or any other officer / official authorised by the [Government / Director in this behalf] may either, before or after the institution of the prosecution compound the offence committed in contravention of the sub-rule (1) on payment of such sum as he may specify.

Provided further that the amount specified under the above proviso shall not be less than Rs. 5,000/- and shall be in addition to the cost of mineral if recoverable.

(4) Where any person trespasses on any land on contravention of the provisions of sub-rule (1) such trespasser may be served with an order of eviction by the [Additional Director (Mines)], Superintending Mining Engineer, Superintending Mining Engineer (Vigilance), Mining Engineer, Mining Engineer (Vigilance) or Assistant Mining Engineer concerned or any other officer / official authorised by the [Government / Director / Additional Director (Mines) in this behalf].

(5) Whenever any person without a lawful authority or in contravention of the terms and conditions of the mining lease / quarry licence, short term permit or any other permit raises any mineral from any land and for that purpose bring on the land any tool, equipment, vehicle or other thing [such mineral, tool, equipment like wire saw, crane, excavator, loader, power hammer, compressor, drilling machine, crusher etc., vehicle like dumper, tractor trolly, half body trucks, full body trucks, trolla etc.] or other thing may be seized by the authorities mentioned in sub-rule

(4) may recover cost of the mineral along with rent, royalty or the tax chargeable on land occupied or mineral excavated which will be computed as 2[10] times the royalty payable at the prevalent rates.

Provided further that every officer seizing any property or mineral under this rule shall give a receipt of the property so seized to the person from whose possession the property or mineral is so seized and make a report of such seizure to his superior officer and to the Magistrate having jurisdiction over the area to try offence.

(6) The property other than the mineral seized under sub-rule (5) may be released by the officer who seized the property in the execution of a bond by the trespasser or the owner of the property or any other person to the satisfaction of such officer that the property so released shall be produced at the time and at the place when such production is required by such officer.

Provided that where a report has been made to the Magistrate under sub-rule (5) the property shall be released only under the orders of the Magistrate.

(7) All property seized under this rule shall be liable to be confiscated by an order of Magistrate trying the offence if the rent, royalty or tax or / and cost of the mineral as mentioned above are not paid by the trespasser within a period of 3 months from the date of commission of such offence or when the recoveries are not effected by that time.

Provided that on payment of these dues within the said period of 3 months all properties seized shall be ordered to be released and shall be handed over to the trespasser or the owner of the property.

68 Establishment of check posts and barriers and weighment and inspection of goods in transit:-

(1) If the State Government, Director, Superintending Mining Engineer or [Mining Engineer / Assistant Mining Engineer considers it necessary] to do so, with a view to prevent or check the evasion of royalty under these rules at any place or places within the State he may direct the setting up of check post or erection of a barrier or both at such place or places by an order in writing.

Provided that the [Mining Engineer / Assistant Mining Engineer concerned may not direct] setting up of check post or barrier for a period exceeding 6 months, the Superintending Mining Engineer for a period is exceeding 1year, and the Director for a period exceeding 2 years.

Provided further that the setting up of check post or erection of a barrier for a period exceeding 2 years shall be notified in the Official Gazette and in other cases display of the notice at the place

of establishment of check-post or erection of a barrier and on the Notice Board of the office of the concerned Mining Engineer and Assistant Mining Engineer may suffice.

(2) The Director, Additional Director (Mines), Superintending Mining Engineer], Mining Engineer, Superintending Mining Engineer (Vigilance), Mining Engineer (Vigilance), Assistant Mining Engineer or any other [officer authorised by any of them or by the State Government] in this behalf may check a vehicle carrying the mineral at any place and the owner or the person in charge of the vehicle shall furnish a valid Rawanna [3][or transit pass or Royalty Receipt issued by Department of Mines and Geology in the prescribed form and other documents / particulars] as demanded by the officer.

(3) At every check post or barrier set up under sub-rule (1) or at any other place when so required by the officer incharge of the check post or barrier or any other officer empowered by the Director / State Government in this behalf, the driver or any other person incharge of the vehicle shall stop the same, get the minerals contained therein weighed, shall pay weighing charges as fixed by the Government from time to time and shall keep the vehicle stationed so long as may reasonably be necessary and allow officer in charge of the check post or the barrier or such other officer as aforesaid to examine the minerals in transit and also inspect all records relating to the minerals in possession of such driver or other person. The driver or other person shall, if so required by the officer in charge of the check post or the barrier or any other officer so empowered give his name and addresses as also that of the owner of the vehicle and the name and address of the consignor and the consigned. After checking the minerals and vehicle the officer incharge of the check post of the barrier or such other officer as aforesaid shall put his signature on the rawanna so as to avoid any further checking at another check post.

(4) Every owner or person incharge of a vehicle shall carry with him a valid rawanna or [Royalty Receipt or transit pass issued by Department of Mines and Geology] in respect of the materials

carried and shall produce the same before any officer incharge of a check post or barrier or other officer 2[empowered under sub-rule (2) or (3)].

(5) If the officer incharge of the check post or any other officer mention in 2[sub- rule (2) or (3)] above has a reason to believe that royalty is likely to be evaded in respect of any mineral liable to assessment for royalty, such officer may require the owner or person incharge of the vehicle to pay an amount equal to 3[10] times the amount of royalty payable on the mineral [in accordance with Schedule-I along with compounding fee as specified by the officer authorized under section 22 of the Act.] 4[ ]

Provided [ ] that where on weighment or by measurement at the check post it is found that the entire quantity of mineral is not covered by the rawanna, the amount of royalty on such difference, shall be recovered by the officer incharge of the check-post.

(6) (i) The officer incharge of the check post or the barrier or the officer empowered under sub-rule (2) shall have the power to seize and confiscate [mineral along with vehicle which is not covered by a valid rawanna, or transit pass issued by Department of Mines and Geology, if the owner or person incharge of the vehicle refused to make payment as required under sub-rule (5), the seized vehicle along with mineral shall be handed over to SHO / incharge of nearest Police Station.]

(ii) The officer incharge of the check post or the barrier or any officer empowered in this behalf shall give a receipt of [such mineral along with vehicle seized by him] to the person from whose possession or control it is seized

2[(iii) The officer incharge of the check post or any officer empowered under sub-rule (2) or (3) may direct the person incharge of the vehicle to carry the vehicle along with mineral, so seized, to the nearest police station or check post or barrier of the Department].

(7) Whenever an order of confiscation [in respect of mineral along with vehicle seized] under sub-rule (6) is made by an officer

empowered by the Government in this behalf such officer shall give an option to the owner or incharge of the vehicle to pay an [amount as per sub-rule (5)] in view of such confiscation. In case of failure of the owner or person incharge of the vehicle to exercise such option the confiscated material may be disposed of by the confiscating officer or any other officer authorised in this behalf by public auction by beat of drum or he may sell in directly at the rate prevalent in the adjacent area.

Provided [that no such mineral along with vehicle] confiscated under sub- rule (6) shall be disposed of by the confiscating officer or any other officer authorised in this behalf before 48 hours of such confiscation and till that time option shall remain with the owner or person incharge of the vehicle to carry the mineral after paying [an amount as per sub rule (5).]

21. उपरोक्त नियम 48 व 68 के अध्ययन से यह दर्शित है कि मौके पर खनन विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करने पर सामान को सीज किया जाता है। साथ ही जब्तशुदा माल के संदर्भ में रायल्टी राशि अर्थात् पेनल्टी व कम्पाउण्ड राशि जमा कराने का तीन माह का समय दिया जाता है और यदि इस दौरान राशि जमा नहीं कराई जाती है तथा उन्हें चालक द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है तो विवादित माल व वाहन को अधिग्रहण/जब्त सरकार कर लिया जाता है। उक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रदर्श पी–5 के अवलोकन से स्पष्ट तौर पर दर्शित है कि मौक पर समस्त कार्यवाही की गई तो अभियुक्त दौलतराम को पेनल्टी व कम्पाउण्ड राशि जमा कराने के संदर्भ में प्रदर्श पी–5 में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और यह आपत्ति अपीलार्थी/अभियुक्त की शुरूआत से ही रही है, जिसकी पुष्टि फर्द प्रदर्श पी–5 को देखे जाने से स्पष्ट होती है और अपीलार्थी द्वारा उठाई गई यह आपत्ति उचित प्रतीत होती है।

22. नियम 68 के खण्ड 5 के तहत नियमों में यह उल्लेख किया गया है कि जब अभियुक्त के द्वारा संबंधित चौकी, चैक पोस्ट पर जाने से मना कर दिया जाता है तो उक्त खनिज व वाहन को जब्त सरकार किया जाता है। इन प्रावधानों के संदर्भ में प्रदर्श पी–5 के अवलोकन से दर्शित है कि इसमें

मोनोटनस रूप से ही द्वारा मना करने पर जब्त सरकार करना अंकित किया गया है,जबकि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षित गवाह पी. ड.1 राजेन्द्र कुमावत, पी.ड.2 सत्यनारायण, पी.ड.3 कैलाश नारायण तीनों ने अपने बयानों में यह बतलाया है कि कार्यवाही करने के पश्चात् वे चालक सहित ट्रोली को थाने पर लेकर चले गए । उक्त महत्वपूर्ण गवाहान ने यह कहीं भी बयान नहीं दिए है कि अभियुक्त द्वारा थाने पर जाने से मना किया गया हो, ऐसा सम्पूर्ण पत्रावली व प्रदर्श पी–5 फर्द के अवलोकन से भी दर्शित है कि नियम 48 व 68 एम.एम.सी.आर की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित ही नहीं की गई है।

23. पत्रावली पर अभियोजन की ओर से नक्शा मौका प्रदर्श पी–4 प्रदर्शित कराया गया है जिसमें हालात मौके के अनुसार ''एक्स'' मार्क पर पश्चिमी ढलान पर अवैध खनन करना तथा मार्क ''इ'' स्थान पर पश्चिम ढलान पहाडी को इंगित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से दौराने बहस यह आपत्ति रही है कि एक मात्र अभियुक्त द्वारा बिना किसी औजारों/उपकरणों के खनन का कार्य करके उसे ट्रेक्टर ट्रोली में परिवहन कैसे किया जा सकता है? इस संबंध में पत्रावली पर परीक्षित गवाह पी. डब्ल्यू–1 राजेन्द्र कुमावत ने बतालाया है कि यह बात सही है कि अभियुक्त वहां पर चेजा पत्थर की ट्रेक्टर ट्रोली के पास खड़ा था, उसने पहाड़ी से पत्थर तोड़ते नहीं देखा। पी.डब्ल्यू–2 सत्यनारायण ने भी जिरह में यह स्वीकार किया है कि हमने किसी प्रकार के खान में खुदाई करने के उपकरण जब्त नहीं किए। पी.डब्ल्यू–3 कैलाश नारायण जिसके द्वारा प्रकरण में समस्त कार्यवाही की गई है, ने यह स्वीकार किया है कि मैंने अभियुक्त को पत्थर तोडते नहीं देखा, ट्रोली के साथ देखा था। गवाह ने यह भी कथन किया है कि ऐसा कोई उपकरण नहीं था कि जिससे पहाड को तोडा जा सकता हो।

24. इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण गवाहान के जिरह में किए गए कथनों के परिप्रेक्ष्य में यह अस्वभाविक प्रतीत होता है अभियुक्त द्वारा बिना किसी सहायता के अकेले ही खनन का कार्य कर के कथित 6 मैट्रिक टन चेजा पत्थरों को ट्रेक्टर ट्रोली में डालकर परिवहन किया जा रहा हो। इस प्रकार अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा उठाई गई उक्त आपत्ति अभियोजन के विरूद्ध

दर्शित होती है।

25. दौराने अनुसंधान पत्रावली पर जिस जगह से खनन का कार्य करना अभियोजन की ओर से बतलाया गया है। इस संबंध में संबंधित पटवारी अथवा तहसीलदार से जमाबंदी नक्शा ट्रेस लिया जाकर शामिल पत्रावली नहीं किए गए हैं। ना ही उन्हें गवाह के तौर पर संयोजित किया जाकर न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। अभियोजन की ओर से 6 मैट्रिक टन पत्थर ट्रेक्टर ट्रोली में होना बताया गया है। इस संबंध में सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन से दर्शित नहीं होता है कि 6 मैट्रिक टन वजन प्रदर्श पी–5 में किस आधार पर लिखा गया, यह सम्पूर्ण कार्यवाही में भी स्पष्ट नहीं किया गया है। गवाह पी.डब्ल्यू–3 कैलाश नारायण ने जिरह में ट्रेक्टर ट्रोली की लम्बाई चौडाई के अनुमान के आधार पर उक्त वजन होना कथन किया है , जो किसी प्रकार से भी न्यायोचित प्रतीत नही होता है। आपराधिक कार्यवाही में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने होते हैं, परन्तु हस्तगत प्रकरण में 6 मैट्रिक टन चेजा पत्थर के वजन के संबंध में उसका वजन करवाकर कोई कांटा पर्ची पत्रावली में शामिल कर प्रदर्शित नहीं कराई गई है । इसके अतिरिक्त जिस 6 मैट्रिक टन पत्थर को जब्त करना बताया गया है , उस 6 मेट्रिक टन के संदर्भ में मौका प्रभारी को वह सुपुर्दगी पर दिया जाना पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है, परन्तु उक्त वाहन व खनिज को सुपुर्दगी पर दिए जाने के संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेजात को ही अभियोजन की ओर से प्रदर्शित कराकर शामिल पत्रावली नहीं किए गए हैं । बिना प्रदर्शित कराए गए दस्तावेजात को न्यायालय द्वारा पढ़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में उक्त 6 मैट्रिक टन चेजा पत्थर कहां से आया, किसको दिया गया अर्थात उसके अस्तित्व को ही अभियोजन पक्ष न्यायालय को दर्शित कर पाने में पूर्णतया असफल रहा है।

26. पत्रावली में यह तथ्य भी संदिग्ध हो जाता है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी गवाह पी.डब्ल्यू–4 छीतरमल व पी.डब्ल्यू–5 लादूराम के द्वारा अभियुक्त के खते में जब वह खाद डाल रहा था तब उसे गिरफ्तार करना बताया गया है । ऐसे में मौके पर की गई कार्यवाही अपने आप में संदिग्ध हो जाती है । अभियुक्त का बयान मुलजिम में यह कथन रहा है कि वह चाय

पीने के लिए रूका था, वह गांव जा रहा था जो कि गिरफ्तारी के संदर्भ में अभियुक्त को ही सहायता प्रदान करता है। जब फर्द प्रदर्श पी–5 के जरिये अभियुक्त के कब्जे से ट्रेक्टर ट्रोली को जब्त कर लिया गया था तो उस समय अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इस तथ्य को भी अभियोजन सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

27. विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्वचन में विवादित वाहन को सुपुर्दगी पर लिए जाने के संबंध में निर्वचन दिया है । इस संबंध में उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा शुरूआत से ही वाहन मालिक होने के संबंध में कोई इन्कारी नहीं रही है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आलौच्य निर्णय पारित करते समय अपने निर्वचन में यह अंकित किया है कि अभियुक्त यह दर्शित नहीं कर पाया है कि जब्त पत्थर चेजा पत्थर नहीं रहा हो, किन्तु जैसा कि उपरोक्त निर्वचन किया जा चुका है कि अभियोजन पक्ष चेजा पत्थर के अस्तित्व को ही दर्शित करने में असफल रहा है। आपराधिक न्यायिक कार्यवाही में अभियुक्त को अपना पक्ष रखने का अवसर बाद में आता है एवं सर्वप्रथम अभियेाजन पक्ष को आरोपित अपराध अभियुक्त के विरूद्ध सन्देह से परे प्रमाणित करने होते हैं। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपित अपराध के संबंध में जो साक्ष्य प्रस्तुत कराई गई है उन गवाहान की साक्ष्य एक–दूसरे गवाह की साक्ष्य से समर्थित, सम्पुष्टिकारक एवं विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत होना दृष्टिगोचर नहीं होता है। अपीलार्थी/अभियुक्त को आरोपित अपराध से संबंधित स्थापित करने की साक्ष्य पत्रावली पर विद्यमान नहीं है।

28. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है एवं अपने निर्वचन में मात्र गवाहों की साक्ष्य का अखण्डित होना माना है तथा गवाहान की साक्ष्य का पूर्ण रूप से निर्वचन नहीं किया गया है।

29. अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त अवधार्य बिन्दु अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सन्देह से परे साबित नहीं होता है। फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है तथा विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2,

जयपुर जिला, जयपुर द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या 125 / 2015 (बी.टी. 487 / 2018) सरकार बनाम दौलतराम में दिनांक 29–11–2024 को पारित दोषसिद्धी एवं दण्डादेश अपास्त किये जाने योग्य है।

:: आ दे श ::

30. परिणामस्वरूप अपीलार्थी /अभियुक्त दौलतराम द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–2, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा दाण्डिक प्रकरण संख्या 125 / 2015 (बी.टी. 487 / 2018) सरकार बनाम दौलतराम में अपीलार्थी / अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–379 भा0दं0सं0 एवं धारा 48 सपठित धारा 68 राजस्थान माइनर मिनरल कनसेशन रूल्स, 1986 के अपराध में दोषसिद्ध एवं दण्डादिष्ट किये जाने के आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 29–11–2024 को अपास्त किया जाता है एवं अपीलार्थी / अभियुक्त दौलतराम को उक्त आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी / अभियुक्त को जमानत एवं बंधपत्र के दायित्व से उन्मुक्त किया जाता है। प्रकरण में जब्त वाहन के संबंध में प्रस्तुत जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपील निष्प्रभावी हो। विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जाए।

(नीतू भारद्वाज)
अपरसैशन न्यायाधीश
क्रम–4, जयपुर जिला, जयपुर

31. उक्त आदेश आज दिनांक 29 / 06 / 2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में प्रसारित किया गया।

(नीतू भारद्वाज)
अपर सैशन न्यायाधीश
क्रम–4, जयपुर जिला, जयपुर